फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

04-10-2013 आवेदक **डॉ0 शमीम साजिद,** पिता–मो0 सनाउल्लाह, सा0–White House, वाजिदपुर, वाजिदपुर मस्जिद के नजदीक, थाना–बाढ़, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–542/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–04.10.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–04.10.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे चिकित्सक हैं एवं व्यवसाय भी करते हैं। पृच्छा के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें पूर्व से एक एन0पी0बोर रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति प्राप्त है जिस पर उनके द्वारा शस्त्र धारित है। उक्त शस्त्र के अतिरिक्त अन्य शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता का औचित्य पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1524/गो0, दिनांक–04.12.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा थानाध्यक्ष –सह–पुलिस निरीक्षक, बाढ़ के मंतव्य से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में संलग्न कर अनुशंसित एवं अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, बाढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक चिकित्सक हैं एवं व्यवसाय भी करते हैं। आवेदक को वर्ष 2012 में एक एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–116/2012, थाना–बाढ़ निर्गत किया गया था। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। साथ हीं थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह

विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा को देखते हुए उन्हें पूर्व में एक एन0पी0बोर रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति निर्गत की गई और इसके अतिरिक्त उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक डॉ0 शमीम साजिद, पिता–मो0 सनाउल्लाह, सा0–White House, वाजिदपुर, वाजिदपुर मस्जिद के नजदीक, थाना–बाढ़, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।